नम्बर /वर्ष 695/2022 अनवानी सतवीर बनाम हरिसिह

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
10/3/26	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी की बहस का विवेचन किया गया है:—	

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की दावा मे वर्णित भूमि के सम्बध में इसी न्यायालय में वाद संख्या 107/2011 अनवानी विमला बनाम हरिसिह पेश किया गया जो मुताबिक राजीनामा खारिज करवा लिया गया था तत्पश्चात एक दुसरा वाद संख्या 283/2012 अनवानी विमला बनाम उदमीराम इसी न्यायालय में पेश किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसे दिनांक 26.07.2022 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 4232/2022 अनवानी देवीलाल बनाम विमला विचाराधीन है।

वाद संख्या 283/2012 विमला बनाम उदमीराम आदि जो इस न्यायालय में पक्षकारो के हक हिस्सा के निर्धारण के लिये पेश किया गया था जब तक पक्षकारो के हको का निर्धारण नही हो जाता तब तक इस वाद में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 283/2012 अनवानी विमला बनाम उदमीराम में निर्णय नही हो जाता तब तक वाद की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी का इस वाद से कोई सम्बध नही हे क्योकि विमला बनाम हरिसिह अपने भाईयो के खिलाफ हे जिससे वाद प्रभावित नही होता है।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में चल रही निगरानी में किसी भी प्रकार का स्थगन नही है तथा मौजुदा प्रार्थना पत्र दावा में देरीना करने के लिये पेश किया गया हे इसलिये प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही की जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया हस्तगत वाद श्योनारायण की भूमि व्यक्त की जाकर पैतृक सम्पति में अपने हको के निर्धारण का पेश किया गया है

पूर्व में भी इसी न्यायालय में श्योनारायण के नाम दर्ज भूमि के सम्बध में हको के निर्धारण के सम्बध में वाद पेश किया गया था जो आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर खारिज किया गया था उसके पश्चात उन्ही पक्षकारो एव उसी भूमि के सम्बध में पुनः वाद पेश किया गया जिसमें 11 सीपीसी का प्रार्थना पेश किया गया था जिसे खारिज करने पर निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन चल रही है

वादी ने केवल मात्र कथन किया गया है कि निगरानी का हस्तगत वाद से कोई सम्बध नही है किन्तु अपने कथनो के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जबकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन निगरानीपत्र के अनुसार निगरानी पूर्व वाद में वर्णित भूमि एक समान है एवं पक्ष[illegible] लगभग समान है जब तक पूर्व मे प्रस्तुत वाद/निगरानी में [illegible]का हक निर्धारण नही हो जाता तब तक हस्त[illegible] की कार्यवाही की जानी उचित नही है हस्तगत वाद में किसी भी प्रकार का निर्[illegible]रित करने पर राजस्व मण्डल राजस्थान [illegible]जमेर में विचाराधीन [illegible]नी प्रभावित हो सकती है जो उचित नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
[illegible] अधिकारी

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद की कार्यवाही को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन निगरानी तक स्थगित किया जाता है राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे विचाराधीन निगरानी के निस्तारण पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाता है

निर्णय दिनांक 10/3/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested